R-2143-PBR/14

# समक्ष माननीय अध्यक्ष म0 प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

प्रकरण क्र. पी0बी0आर0– /निगरानी/14

झनकसिह आ0 श्री गणेशराम
निवासी ग्राम निपानिया जाट तहसील
जिला भोपाल म0प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती कमलाबाई पत्नी श्री फुलसिह
निवासी ग्राम बरखेडा पोस्ट दोराहा तहसील
व जिला सिहोर म0प्र0
2. श्रीमती फुलवतीबाई पत्नी श्री कालूराम
निवासी ग्राम पीपलखेडा पोस्ट दिल्लोट तहसील
बैरसिया जिला भोपाल
3. श्रीमती शारदाबाई पत्नी श्री रामफुल
निवासी ग्राम व पोस्ट देहरी तहसील व
जिला सिहोर म0प्र0
4. श्रीमती सौरमबाई पत्नी श्री सन्तोष
निवासी बिहारी कालोनी दुसरी आंगनबाडी के पास
भानपुर तहसील हुजूर जिला भोपाल म0प्र0 .....अनावेदकगण

श्री डेम सिंह अभिभावक द्वारा आज दिनांक 8-7-14 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत। 8-7-14

## म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदक विद्वान अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा उनके प्रकरण क 186/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 09/06/14 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2143 –पीबीआर/2014 जिला भोपाल

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 10–7–2014 | आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 9–6–2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि प्रश्नाधीन भूमि पैतृक भूमि होने से अनावेदकगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 सहपठित म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।<br><br>(स्वदीप सिंह)<br>अध्यक्ष | 10/7 |